<u>राज्य सभा</u>

तारांकित प्रश्न संख्या *97

27 नवंबर, 2019 को उत्तर के लिए

इस्पात अवशिष्ट संबंधी नीति

***97. श्री अमर शंकर साबलेः**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में इस्पात अवशिष्ट संबंधी नीति लागू करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब से लागू किया जाएगा;

(ख) इस नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या-क्या हैं और इस नीति में किन-किन वस्तुओं को शामिल किया जाएगा, तत्संबंधी वस्तु-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में कतिपय अवशिष्ट केन्द्र निर्धारित किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने अवशिष्ट की बिक्री के संबंध में कोई प्रोत्साहन निर्धारित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"इस्पात अवशिष्ट संबंधी नीति" के बारे में श्री अमर शंकर साबले, संसद सदस्य द्वारा राज्य सभा में दिनांक 27 नवंबर, 2019 के लिए पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *97 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): जी हाँ। स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को दिनांक 07 नवंबर 2019 को अधिसूचना सं. 354 के द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। यह नीति विभिन्न स्रोतों तथा विभिन्न उत्पादों से उत्पन्न फैरस स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण तथा पुनर्चक्रण के लिए भारत में धातु पुनर्चक्रण केन्द्रों की स्थापना संबंधी सुविधा प्रदान करने तथा इन्हें बढ़ावा देने की एक रूपरेखा उपलब्ध कराती है। इस नीतिगत रूपरेखा में एक संगठित, सुरक्षित तथा पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल पद्धति से संग्रहण, विखंडन तथा श्रेडिंग क्रियाकलापों के मानक दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं। इस नीति में विखंडन केन्द्रों तथा स्क्रैप प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना विषयक दिशा-निर्देश तथा इनके उत्तरदायित्व, एग्रीगेटरों की भूमिका तथा सरकार, विनिर्माता और मालिकों के दायित्व निर्धारित किए गए हैं।

(ग): स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति में सरकार द्वारा देश में स्क्रैप केन्द्रों की स्थापना की परिकल्पना नहीं की गई है। सरकार की भूमिका देश में मेटल स्क्रैपिंग केन्द्रों की स्थापना की सुविधा प्रदान करने तथा उन्हें बढ़ावा देने की एक रूपरेखा तैयार करने की है।

(घ): सरकार ने स्क्रैप की बिक्री के लिए कोई प्रोत्साहन निर्धारित नहीं किया है। इसका निर्धारण दिशा-निर्देशों तथा स्क्रैप की बिक्री के समय प्रचलित बाजार की परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा।

****